



छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा परिषद्, रायपुर

कार्यालय - शासकीय आयुर्वेद फार्मसी भवन, प्रथम तल, जी.ई. रोड़, रायपुर

492010 (छत्तीसगढ़) फोन एवं फैक्स 0771 - 2263165

वेबसाइट - www.cgaupcb.in, ई-मेल - registrar@cgaupcb.in, cgaupcbregistrar@gmail.com

क्रमांक-03/निर्वाचन/ 2026 / 850

रायपुर, दिनांक 10/02/2026

—:: संभागवार नामनिर्दिष्ट उम्मीदवारों के नाम वापसी की सूचना का प्रकाशन ::—

जबकि छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी अधिनियम, 1970 (अनुकूलन आदेश 2001) के अधीन छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी नियम, 1973 (अनुकूलन आदेश 2001) के नियम 10 के तहत निर्वाचन पदाधिकारी/रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा परिषद्, को राजस्व आयुक्त संभाग- रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर एवं सरगुजा से नामनिर्दिष्ट उम्मीदवारों के स्वेच्छापूर्वक नाम वापसी की सूचना प्राप्त हुई है।

अतः छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी नियम, 1973 (अनुकूलन आदेश 2001) के नियम 10 उपनियम (4) के परिपालन में निर्वाचन पदाधिकारी/रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा परिषद्, रायपुर एतद् निर्देश देता है कि राजस्व आयुक्त संभाग रायपुर से नामनिर्दिष्ट उम्मीदवार डॉ. सेवन्त कुमार साहू, शासकीय आयुर्वेद औषधालय, डाडी, जिला-धमतरी (छ0ग0) एवं डॉ. विकास कुमार अग्रवाल, श्री राम हॉस्पिटल, पलौद, नया रायपुर, जिला-रायपुर (छ0ग0), राजस्व आयुक्त संभाग दुर्ग से डॉ. संजय चन्द्रवंशी, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, शासकीय आयुर्वेद औषधालय, बिरेतारा, जिला-बालोद (छ0ग0) एवं डॉ. सुधीर कुमार हिशीकर, बोरसी भाठा, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ0ग0), राजस्व आयुक्त संभाग बिलासपुर से डॉ. घनश्याम, ग्राम व पोस्ट-सकरी, तह.-तखतपुर, जिला-बिलासपुर (छ0ग0) एवं डॉ. विश्वनाथ पटेल, शासकीय आयुर्वेद औषधालय, गतौरा, ब्लॉक-मस्तुरी, जिला-बिलासपुर (छ0ग0) तथा राजस्व आयुक्त संभाग सरगुजा से डॉ. अवधेश साहू, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बरियों, जिला-बलरामपुर (छ0ग0) ने उम्मीदवारी वापिस लिया है जिसका प्रकाशन आम लोगों के सूचनार्थ छत्तीसगढ़ राजपत्र में होगा।

टिप्पणी :- छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी नियम, 1973 (अनुकूलन आदेश 2001) के नियम 10 उपनियम (2) के तहत मतपत्र में उम्मीदवारी वापिस लेने वाले का नाम प्रविष्ट नहीं होगा।

(डॉ. संजय शुक्ला)

निर्वाचन पदाधिकारी/रजिस्ट्रार

छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा परिषद्, रायपुर
